

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग, ८ तिलक मार्ग, लखनऊ

नीलामी सूचना

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय/उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग, ८ तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित वाहनों की बिक्री हेतु खुली नीलामी दिनांक २०.०३.२०१८ को दोपहर १२:०० बजे बोली, बोली जानी है।

क्र०सं०	वाहन संख्या	मेक
१. यू०पी०३२ यू०	११११ एम्बेस्डर	१९९८
२. यू०ए०वी०	९३४८ मिनी बस	१९८९
३. यू०वी०जी०	९१४७ मेटाडोर	१९८८

१. नीलाम होने वाले वाहनो को नीलामी से पूर्व, एक दिन पहले तक, देखा जा सकता है। वाहन मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, जैन मन्दिर मार्ग, डालीगंज में जिस हालत में खड़े हैं, उसी हालत में नीलाम किये जायेंगे। बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व वाहन का निरीक्षण कर लें।
२. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया ५०००.०० (रूपया पाच हजार मात्र) नगद जमा करना होगा, जो नीलामी समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिये जायेगे।
३. वाहन जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में नीलाम होगा।
४. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की २५ प्रतिशत धनराशि अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल जमा करनी होगी। अवशेष धनराशि तीन दिनों के अन्दर जमा करनी होगी यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा शेष धनराशि जमा नहीं की गयी, तो बोली निरस्त करते हुए जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।
५. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर देगी। बोली की अन्तिम स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
६. बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का निराकरण जनपद लखनऊ स्थित न्यायालय से ही करना होगा।

निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय उ०प्र०